RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

ई–मेल : coldstorage@satyam.net.in वेबसाइट : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/– रु0 31 अगस्त, 2011 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 8, अंक : 3

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

अगस्त का महीना प्रायः समाप्त हो चुका है। हमारी पत्रिका आपके हाथ में पहुँचते–पहुँचते यह पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि, इस वर्ष उत्तर प्रदेश में या यो कहिए कि सम्पूर्ण उत्तर भारत में वर्षा बहुत अच्छी हुई है। उत्तर प्रदेश में तो अधिकांश जगह सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकार्ड की गई है।

सुदूर भारत में कुछ कम वर्षा होने का आंकलन जरूर किया जा रहा है पर शीघ्र ही उस कमी के पूरा हो जाने की सम्भावना भी व्यक्त की जा रही है। अधिक वर्षा के कारण ही सब्जियों का विपरीत असर पड़ा है, इसके कारण कम से कम अगस्त के अंतिम सप्ताह में आलू के भावों मे गिरावट रूक ही नहीं गई है, वरन थोड़ी सी तेजी भी देखी जा रही है। शीतगृहों से आलू की निकासी काफी कम रही है। वैसे अगस्त माह के लिए यह सामान्य बात होती है।

ट्रकों पर अधिक माल न लोड किए जाने की बाध्यता लागू कर दी गई है जिसके कारण ट्रकों के भाड़े बहुत अधिक बढ़ गए है। इसका असर आलू की बिक्री पर भी पड़ा है, लेकिन इस असर का आंकलन सही नहीं हो पा रहा है क्योंकि ट्रकों के बढ़ते भाड़े के कारण दक्षिण के प्रान्तों का आलू उत्तर भारत में नहीं घुस पा रहा है या दूर तक जाने में काफी महँगा होता जा रहा है।

हमें आशा है कि सितम्बर माह में आलू की निकासी बहुत तेज हो जाएगी। सितम्बर माह में आलू की निकासी पर भण्डारित आलू का भविष्य निर्भर करता है। अभी तक जितना भी कम आलू निकला है उस परेशानी से सितम्बर माह की जरा सी अधिक निकासी से भी जीता जा सकता है, अतः अभी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सितम्बर माह की निकासी विशेष महत्व रखती है। हम अपने सभी शीतगृहस्वामियों व व्यापारियों को फिर यही सलाह देंगे कि हर भाव पर आलू निकासी करते रहें।

विदेश यात्रा के सम्बन्ध में :

शीतगृहस्वामियों व उनसे सम्बधित परिवारों की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी विदेश यात्रा का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। सम्भवतः यह यात्रा वर्ष 2012 जनवरी माह में होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि 19 दिसम्बर, 2011 तक शादियों का जोर है, जिसके कारण तमाम शीतगृहस्वामियों ने यह अनुरोध किया है कि 19 दिसम्बर तक कोई विदेश यात्रा न रखें। इसके बाद मुख्य भीड़–भाड़ का समय चालू हो जाता है जिसमें क्रिसमस व नववर्ष की वजह से होटलों, हवाई जहाज, टैक्सी आदि की व्यवस्था में काफी परेशानी आती है व रेट भी बढ़ने लगते हैं, इसलिए इस यात्रा को 15 जनवरी के बाद ही रखने का विचार बन रहा है। इस वर्ष विदेश यात्रा हाँगकाँग व मकाऊ रखने का विचार है। तीन रात हाँगकाँग व दो रात मकाऊ में ठहरने का विचार है।

हम अपने सदस्यों से इस यात्रा के बारे में सुझाव चाहते है जिससे जाने वालों की इच्छा व सुविधा अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। हम यह भी चाहते हैं कि हमारे सदस्य अपने जान पहचान के ट्रेवल एजेन्टों से इसके खर्च के बारे में जानकारी एकत्रित करके हमें भेजें, जिससे हम ट्रेवल एजेन्ट से भी यात्रा के बारे में अंतिम निर्णय लें, ताकि वह हमसे अधिक चार्ज न ले सकें। हमने जगह, तारीखें और कितनी रात ठहरना है के बारे में तो लिख ही दिया है साथ में यह भी नोट कर लें कि भोजन ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ भारतीय शाकाहारी भोजन भी मिल सके।

अनुमानतः 50 से 100 व्यक्ति जाने चाहिए, जिन्हें हम 50–50 के बैच में ले जाना चाहते हैं जिससे विदेश पहुँच कर बहुत बड़े ग्रुप से होने वाली असुविधा से बचा जा सके। इस सम्बन्ध में यदि आप और जानकारी चाहते हों तो हमें तुरन्त लिखें। हमारे अनुमान से हमें हवाई टिकट, होटल बुकिंग, 15 अक्टूबर तक करा लेनी पड़ेगी जिसका अग्रिम भुगतान 6/7 अक्टूबर तक अवश्य भेजना होगा।

अभी तक यह अनुमान ही है कि प्रति व्यक्ति खर्च मय हवाई टिकट के 60,000 से 70,000 रूपए के बीच मे आना चाहिए। तमाम ट्रेवल एजेन्ट काफी कम खर्च में ऐसी विदेशी यात्रा का अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं। ऐसे विज्ञापनों में कई दफा ऐसा खर्च छुपा होता है जिसका पता बाद में चलता है। अतः यह सब देखते हुए आप हमें अपने सुझाव शीघ्र–अति–शीघ्र भेजें। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए हम अपने सदस्यों को एक पत्र सितम्बर माह के पहले सप्ताह में भेजेंगे और यह आशा करेंगे कि बुकिंग के लिए एडवांस पेमेन्ट हमें 25.9.2011 तक अवश्य मिल जाए क्योंकि इस के बाद कम से कम हम दस दिन उन लोगों को देना चाहते है जो किसी कारणवश अपनी बुकिंग कैंसिल कराना चाहते है, जिससे उन्हें बगैर किसी जुर्माने के बुकिंग पैसे वापस दिए जा सकें। एक दफा एयर लाइन, होटल का एडवांस भेजने के बाद कैंसिल कराने में एयर लाइन और होटल का कैंसिलेशन नियम लागू हो जाता है।

वैसे हमारी चेष्टा यही रहेगी कि हम किसी भी जगह पाँच सितारा होटल से कम में ठहरने की व्यवस्था न करें।

यहाँ ध्यान दें कि इस यात्रा में हाँगकाँग में एसोसिएशन की कोई मीटिंग नहीं होगी। एसोसिएशन की वार्षिक मीटिंग दिसम्बर माह में लखनऊ में आयोजित की जायेगी। जिसकी सूचना हम पात्रिका द्वारा अगले अंको में देंगे।

विशेष सावधानियाँ :

अपने सदस्यों के लिए, विशेष कर नए सदस्यों के लिए, हम शीतगृह संचालन में निम्नलिखित सावधानियाँ बरतने की सलाह देते हैं :–

1. बरसात के महीनों के बाद शीतगृह कक्षों में आर्द्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि तापमान व हवा के घुमाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो आलू में अंकुरण बहुत तेजी से होने लगता है। अतः इस समय आलू की दशा शीतगृहों में क्या है इसका निरीक्षण बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप थोड़ा सा भी अंकुरण पाए तो पल्टाई अवश्य शुरू कर दें और गैलरी में पड़े आलू की लॉटो के बीच में हवा जाने की समुचित व्यवस्था करें। इस समय यदि आपने प्रभावी कदम उठा लिए तो आपका सीजन सही प्रकार निपट जायेगा अन्यथा इस मन्दी के वर्ष में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। यदि आपका सितम्बर का महीना सही निकल जाता है तो अक्टूबर माह में निकासी इतनी तेज होती है कि छोटे–मोटे अंकुरण का विशेष फर्क नहीं आता परन्तु देखना यह होता है कि आपके यहाँ अंकुरण हो ही ना।

2. यहाँ यह भी चेक कर लें कि बंकर क्वायल के ऊपर लगे पंखे सही रफ्तार से चल रहे हैं या नहीं।
3. शीतगृह की छतों से टपक–टपक कर पानी तो कमरों में नहीं आ रहा है। यह टपकने का पानी आपके इन्सुलेशन को बर्बाद कर देता है।
4. सक्शन प्रेशर – Suction Pressure 35 से 40 रखने की कोशिश करें।
5. डिलीवरी प्रेशर – Delivery Pressure 175 से 185 अच्छा रहता है।

मथुरा मीटिंग में सहयोग करने वाले मशीनीरी निर्माताओं के सम्बन्ध में :

यहाँ पर हम उन सभी मशीनरी निर्माताओं के नाम, पते, ई मेल, फोन नम्बर व उत्पाद के बारे में सूचना दे रहे हैं जिन्होंने 28/7/2011 को मथुरा में होने वाली मीटिंग में हिस्सा लिया। आप कभी भी किसी निर्माता से सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

	कम्पनी का नाम, पता व ई–मेल	प्रोडक्ट	टेलीफोन नं.
1.	**किर्लोस्कर न्यूमेटिक कम्पनी लि.** हडस्पर, इण्डस्ट्रियल स्टेट, पुणे aacr-compressors@kpcl.net	**अमोनिया कम्प्रेसर**	020–26727000
2.	**इन्टरनेशनल क्वॉयल लि.** ए–21/24 नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज–2, नई दिल्ली–110028 subhransu@icl-tech.com	**अमोनिया कम्प्रेसर**	9873683133
3.	**ट्राफो ट्रान्सफार्मस कम्पनीं,** सी–20, साइट सी, यू.पी.एस.आई.डी.सी. इण्डस्ट्रियल एरिया,सिकन्दरा, आगरा info@trafotransfomers.com	**ट्रांसफार्मर**	9319103611
4.	**जैकसन एण्ड कम्पनी** 114, प्रभात किरण बिल्डिंग, 17, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–110008 jakson.rp@gmail.com	**जनेरेटर**	011–32942054
5.	**बिशम्भर नाथ जैन सन्स** 7–8, पालीवाल मार्केट, सिटी, आगरा bnjsons@ yahoo.com	**कोल्ड स्टोरेज पाइप**	0562–2620513

	कम्पनी का नाम, पता व ई–मेल	प्रोडक्ट	टेलीफोन नं.
6.	**मेटालेक्स क्रियोजेनिक्स लि.** 407, भक्ति प्लाजा, ब्रहान स्कवायर औन्ध, पुणे–411007 sales@metalexgroup.com	**अमोनियाॅ कम्प्रेसर**	020–25881117, 25881118
7.	**अरविन्द इण्टरप्राइजेज (इण्डिया)** 146–अ, एल.आई.जी. फ्लैट्स, मोतिया खान, नई दिल्ली–110055 arvind_enterprises@yahoo.co.in	**कम्प्रेसर स्पेयर पार्ट**	011–23526417 23620458
8.	**पेटान रेफ्रीजरेशन इण्डिया प्रा.लि.** ई–57, प्रथम मंजिल, सेक्टर 3, नोयडा sunil@pattonrefrigeration.co.in	**कण्डेन्सर/एवेपोरेटर**	09560454672
9.	**एच.एल. इंजीनियरिंग कार्पोरेशन,** 35–अ, बिपलापि अनुकूल चन्द्रा स्ट्रीट, कोलकाता – 700072 hlenggcorp@yahoo.co.in	**शीतगृहों में वायु प्रवाह**	09831359108
10.	**डेनफोस रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग** छठी मंजिल, जे.एम.डी. पेंसिफिक स्क्वायर, सेक्टर 15, एन.एच.–8, गुड़गाँव पिन–122001 (हरियाणा) maniam@danfoss.com	**कोल्ड स्टोरेज वाल्व**	09717599397
11.	**अल्फा लेवल (इण्डिया) लिमिटेड,** मुम्बाई–पुणे रोड़, दापोदी, पुणे–411012 (महाराष्ट्र) himanshu.sheth@alfalaval.com	**औद्योगिक एयर कूलर**	09552544801

कम्पनी का नाम, पता व ई–मेल	प्रोडक्ट	टेलीफोन नं.
12. **बी.ए.एस.एफ. इण्डिया लिमिटेड** प्लॉट न. 37, चानदीवली, अंधेरी ईस्ट, मुम्बाई–400072 udipt.agarwal@basf.com	**कोल्ड स्टोरेज इन्सूलेशन**	09619873912
13. **श्री राधे मैकेनिकल वर्क्स,** 3743, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, दिल्ली, shreeradhey@hotmail.com	**शीतगृह स्पेयर पार्ट**	011–23289349, 23279349, 09313621228
14. **यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड,** 26–28, इन्द्रा प्लेस, एच ब्लाक, केनॉट सर्कल, नई दिल्ली–110001 singhvk@uniphos.com	**सी.आई.पी.सी केमिकल/ शुगर फ्री आलू के लिए**	09971103202
15. **रिनैक इण्डियॉ लिमिटेड** 5, सरस्वती निवास, मेन चैनल रोड, उलसूर, बैंगलोर पिन–560008 (कर्नाटक) brajmohan@rinac.com	**कोल्ड स्टोरेज इन्सूलेटड पैनल/दरवाजे**	09212674973
16. **सी. एण्ड एस. हिमौनसा जेनरेटर सेट प्रा.लि.** शाह टावर्स, 21, स्टेशन रोड, द्वितीय तल, लखनऊ, पिन–226001 (उ0प्र0) suresh.dubey@cselectric.co.in	**डीजल जेनरेटर**	09918325333
17. **महाराजा पॉलियूरीथेन प्रा.लि.** 31, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली पिन–110055 vsingh@maharajapolyurethane.com	**कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे**	09810017875

बीमा सम्बन्धी कुछ और जानकारियाँ :

बीमा सम्बन्धी विषय पर हम अप्रैल व मई, 2011 पत्रिका के अंक में कुछ जानकारी दे चुके हैं।

1. आपका बीमा करते समय आप शीतगृह की मुख्य बिल्डिंग को तूफान, बाढ़ व किसी भी कारण से पानी में डूबने के खतरे के लिए भी बीमा करवा लें तो अच्छा रहता है। इसमें आपको बहुत कम प्रीमियम पड़ता है।
2. आपका बीमा बाजार भाव पर कराना ठीक रहता है, जो कि आपके द्वारा बिल्डिंग बनाने में लगाई गई धनराशि, उसके विगत वर्षों में कीमतों का बढ़ जाना व उतने ही वर्षों का डेप्रीसिएशन depreciation घटा के निकाली जाती है। यहाँ यह ध्यान रहे कि बिल्डिंग की कीमत में बिजली, वायरिंग, इन्सूलेशन व रैक आदि की कीमत भी शामिल की जानी चाहिए।
3. मशीनरी का आग का बीमा जरूरी नहीं होता लेकिन कुछ बीमा कम्पनियाँ इसे जरूरी मानती हैं।
4. मशीनरी टूट–फूट के बीमे में भी यह ध्यान रखने का है कि मशीन की कीमत वर्तमान में बाजार भाव पर हो, जिसमें वैट, ढुलाई व उसकी फिट कराई तक के खर्च शामिल किए जाने चाहिए क्योंकि क्लेम में यह खर्च देय माने गए हैं।
5. आलू सड़ने का बीमा बहुत बारीकी से समझना चाहिए। इसके लिए आपके पास पूरे स्टाक व बिल्डिंग की फायर पॉलिसी व टूट–फूट की पॉलिसी होना आवश्यक है। आलू के सड़ने का

क्लेम जब माना जाता है जब शीतगृह में कोई मशीन ब्रेकडाउन हुआ हो जिसके कारण शीतगृह कक्ष का तापमान गिराना सम्भव न हो और यह भी आवश्यक है कि यह कार्य स्टैण्डबाई मशीन चलाने के बाद भी सम्भव न हो। कृपया यह भी ध्यान दें कि कोई भी दो पदार्थ एक कक्ष में न रखे हो, जिसकी मान्यता बीमा कम्पनी ने न दे रखी हो।

6. विद्युत फेल होने पर बीमा सम्बन्धी संरक्षण कुछ बीमा कम्पनियाँ देती है, परन्तु हमारी सलाह में उसको न करना ही बेहतर होगा क्योंकि बिजली सप्लाई फेल होना, उत्पादन बिन्दु से मानती है जबकि उत्पादन बिन्दु से बिजली की सप्लाई न हो पाना प्रायः असम्भव है।

अधिक जानकारी के लिए आप हमसे पत्र व्यवहार कर सकते हैं।

लाइसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में :

हम अपने सदस्यों को याद दिलाना चाहते हैं कि लाइसेन्स नवीनीकरण की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर होती है। इस तिथि तक लाइसेन्स नवीनीकरण फीस अवश्य जमा हो जानी चाहिए अन्यथा जुर्माने के बाद अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर रहेगी। इसलिए आप अपने सारे सम्बन्धित कागजात तैयार करके लाइसेन्स नवीनीकरण के लिए भेंजे।

यह अवश्य ध्यान रखें कि फीस जमा होने में 31 अक्टूबर के बाद विलम्ब न हो। नवीनीकरण फीस जमा करने के लिए ट्रेजरी चालान पर जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं। संदर्भ सरकारी आदेश संख्या 3532/अट्ठावन–1–98–100(28)/98 दिनांक 16 अक्टूबर, 1998 जिसका बिन्दु नम्बर 11 निम्न प्रकार है –

कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु समयावधि :

1. उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस देना नियमावली 1976 द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुये और लाइसेंसिंग अधिकारी (कोल्ड स्टोरेज) एवं निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये निर्धारित नवीनीकरण के प्रार्थनापत्र जनपदीय उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे और जनपदीय द्वारा उपरोक्त बिन्दु 10 की भाँति प्राप्ति रसीद दी जायेगी और समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को सम्बन्धित जनपद के जिला अधिकारी एवं लाइसेंसिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज के समक्ष अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा और जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज द्वारा नवीनीकरण की पत्रावलियों का निस्तारण अधिकतम 5 दिनों में किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस को सामान्य नवीनीकरण की कार्यवाही पिछले वर्ष के नवम्बर माह के प्रथम पक्ष तक प्रत्येक दशा में सम्पादित करा दी जायेगी यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपदीय उद्यान कार्यालय द्वारा समस्त लाइसेंसधारियों को ट्रेजरी चालान प्रपत्र जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है और न ही इस हेतु लाइसेंसधारी को बाध्य किया जाये।
2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थों को भी अवगत करा दें।

भवदीय

(अरविन्द मोहन)

सचिव

इसके साथ यह भी सलाह दी जाती है कि अच्छा होगा कि आप अपना लाइसेन्स 5 वर्ष के लिए नवीनीकरण करा लें। इसमें आपको चार वर्ष की फीस के बराबर धनराशि जमा करनी होगी। संदर्भ सरकारी आदेश सख्या–379/58–1–2001–100 (27)/90 लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2001।

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1

संख्या – 379/58–1–2001–100 (27)/90

लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 (उ.प्र. अधिनियम) संख्या 11 सन् 1976 (की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति एवं प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज

विनियमन (लाइसेंस देने) नियमावली 1976 की संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेंस देना) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) वह नियमावली उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेंस देना) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. नियम–9 का संशोधन :

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेंस देना) नियमावली, 1976 में नीचे स्तम्भ–1 में विद्यमान नियम–9 के स्थान का संशोधन पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	**स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
9– धारा 7 में निर्धारित शर्तों या धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए धारा–6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेंस इस नियमावली के नियम 10 के अधीन लाइसेंसधारी के आवेदन पत्र पर और नियम 11 के अधीन निहित फीस देने पर, समय–समय पर एक कलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत किया जाएगा।	9– धारा 7 में निर्धारित शर्तों या धारा 42 से अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए धारा–6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेंस इस नियमावली के नियम 10 से अधीन लाइसेंसधारी के आवेदन पत्र पर और नियम 11 के अधीन विहित फीस देने पर, समय–समय पर एक कलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत किया जाएगा। प्रतिबन्ध यह है कि एक कलेण्डर वर्ष से किये विहित फीस का चार चुना अग्रिम भुगतान करने पर किसी लाइसेंस का नवीकरण पाँच वर्ष के लिए किया है।

आज्ञा से
सचिव

संख्या–379(1)/58–1–2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय, ऐशबाग, लखनऊ का इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना की आगामी असाधारण गजट के बिधाई प्रविशिष्ट के भाग–4, खण्ड 'ख' से अवश्य प्रकाशित करा दी।
2. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. (विभापन प्रभाग) लखनऊ की व्यापक प्रचार हेतु।
4. समस्त जिलाधिकारी।
5. समस्त जिला उद्यान अधिकारी।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज, एसोसिएशन, ऐशबाग, लखनऊ।

आज्ञा से
राम कृपाल सिंह
विशेष सचिव

<u>विद्युत सम्बन्धी :</u>

लोड फैक्टर रिबेट के सम्बन्ध में, उन उपभोक्ताओं के लिए जिन्होंने पूरी एडिशनल सिक्योरिटी जमा नहीं की है के मामले में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय श्री मयंक अग्रवाल, एडवोकेट, इलाहाबाद ने हमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एडिशनल सिक्योरिटी पर यह निर्णय भेजा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एडिशनल सिक्योरिटी को विद्युत बकाया श्रेणी में नहीं रखा है। अतः वह उपभोक्ता जिन्होंने एडिशनल सिक्योरिटी का पूरा भुगतान नहीं किया है बकायेदार की श्रेणी में नहीं आते। बिजली कम्पनी, विद्युत बिल के बकायादारों को लोड फैक्टर रिबेट देने को मना करती है। अतः इस निर्णय के बाद सब शीतगृहस्वामी जो लोड फैक्टर रिबेट के हकदार बनते हैं लोड फैक्टर रिबेट पर अपना दावा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नोट करें – Writ-C No.7764 of 2011 Petitioner M/s. K.L. Concast Pvt. Ltd., - (Vineet Saran) (F.I. Rebello, C.J.).

यहाँ हम इस निर्णय का प्रभावी हिस्सा जो कि अंग्रेजी में है प्रस्तुत कर रहे हैं।

"In the light of that, we are clearly of the opinion that the respondents cannot deny to the petitioner the load factor rebate.

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Swapan Kumar Mondal** - Vice President (North), Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

उड़ीसा : उड़ीसा से हमें श्री श्याम पंसारी, अध्यक्ष, उड़ीसा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने सूचित किया है कि मध्य अगस्त में उड़ीसा में आलू का 600 से 650 रू0 कुन्तल का भाव रहा। उड़ीसा में 40 से 45 प्रतिशत आलू की निकासी हो चुकी है जो प्रदेश में ही खाने में खर्च हो जाती है। शीतगृहों में भण्डारित आलू की दशा बहुत अच्छी हैं। भविष्य में आलू रोकने की सलाह बिलकुल नहीं है।

हरियाणा : हरियाणा से श्री कुलवंत सिह सैनी, अध्यक्ष, हरियाणा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने बताया है कि हरियाणा में करीब 250 से 400 रूपए कुन्तल के रेट चल रहे हैं। 25 प्रतिशत आलू की निकासी हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश का आलू उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बिकता है। आपको आशा है कि सितम्बर में करीब 30 प्रतिशत आलू की निकासी और होगी।

उत्तर प्रदेश : शिवांग कोल्ड स्टोरेज, सासनी, हाथरस से हमें श्री मोहित अग्रवाल, ने सूचित किया है कि मध्य अगस्त में आलू के रेट 400 से 500 रू0 प्रति कुन्तल सादा व सी.आई. पी.सी. शुगर–फ्री आलू 450 से 650 रू कुन्तल चल रहे हैं। आलू की निकासी करीब 30 प्रतिशत हो चुकी है। इस क्षेत्र से आलू उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दिल्ली व महाराष्ट्र को जा रहा है। आलू के रेट के बारे में भविष्यवाणी करने में आप असमर्थ है।

फोन पर वार्ता करने पर हमें समाचार मिला है कि बंगाल में आलू की निकासी सही प्रकार से है और वहाँ पर किसी प्रकार की घबराहट नजर नहीं आती। हासन आलू का असर उत्तर प्रदेश की मण्डियों में नजर नहीं आ रहा है हाँ, हासन आलू के डर से उत्तर प्रदेश में आलू के रेट दबे हुए चल रहे हैं। अच्छी वर्षा के कारण भविष्य में तेज निकासी की आशा की जा रही है।

Considering this, the respondents are directed to grant load factor rebate in respect of the petitioner by adjusting the amount against further bills, which the petitioner is entitled. In the event, the respondents choose to adjust the amount against further bills, the respondents to inform the petitioner within three weeks from today. Otherwise the respondents to pay the amount of load factor rebate to the petitioner within eight weeks from today.

The writ petition is allowed with the aforesaid directions".

Order dated 24.2.2011

मैसर्स के.एल. कानकास्ट प्रा.लि. जिनका कि यह केस है उनको बिजली कम्पनी ने लोड फैक्टर रिबेट देने से मना कर दिया था। यह इस आधार पर कि के.एल. कानकास्ट प्रा.लि. ने एडिशनल सिक्योरिटी पूरी नहीं जमा करी थी जबकि यह अपने बिल को पूरी तरह से हर माह भुगतान कर रहे थे। इन पर कोई चोरी या गड़बड़ का केस भी नहीं चल रहा था। किसी भी तरीके के अन्य विद्युत बकाया इन पर नहीं था जिन्हें कभी बिजली बिलों में दर्शाया गया हो।

बिजली कम्पनी ने जब इनसे एडिशनल सिक्योरिटी माँगी तब इन्होंने इसे कोर्ट के सामने चैलेंज Challenge किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने एडिशनल सिक्योरिटी पर तुरन्त स्टे प्रदान कर दिया। यह पेटिशन अभी माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

....

....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित